बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

मुख्य सचिवालय, ब्लॉक–2, द्वितीय तल, पटना–800015

कार्यालय आदेश 262 / 2026

सं0सं0 अ0नि0 (02) 74 / 2026 / नि0सं0

श्रीमती स्मिता भारती, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, हाजीपुर (वैशाली) को वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या 640 दिनांक 19.01.2015 द्वारा यथा संशोधित बिहार सेवा संहिता के नियम–220A के प्रावधानों के आलोक में अपने जुड़वा पुत्र एवं पुत्री की देखभाल करने हेतु दिनांक 09.09.2026 से 14.10.2026 तक कुल 36 (छत्तीस) दिनों का शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्रीमती स्मिता भारती द्वारा उक्त दिनों का शिशु देखभाल अवकाश उपभोग करने के पश्चात् इनका कुल 730–45–36 = 649 दिन शिशु देखभाल अवकाश शेष संचित है।

3. इसमें प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –

उप सचिव

ज्ञापांकः अ0नि0 (02) 74 / 2026 / नि0सं0 2457 दिनांक 08/09/26

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, हाजीपुर (वैशाली) / मुख्य अभियोजक, हाजीपुर (वैशाली) / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / श्रीमती स्मिता भारती, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, हाजीपुर (वैशाली) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –

उप सचिव।

ज्ञापांकः अ0नि0 (02) 74 / 2026 / नि0सं0 2457 दिनांक 08/09/26

प्रतिलिपिः– प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8/9/26

उप सचिव।

Jahar